nt>
Title: Need to bring legislation to ban the smuggling of cow.

श्री आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति जी, इस देश में बहुत बड़ी संख्या में गौ-तस्करी और गौकशी हो रही है जिसकी ओर मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गौवंश भारत की धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था का आधार है, लेकिन पिछले कुछ समय से लोभ-लालच और दुर्भावनावश जिस तरह से गौवंश की तस्करी हो रही है और जगह-जगह गौकशी की जा रही है उससे हमारे राष्ट्रीय की सम्पदा का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं इस विषय में कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। वर्ष १९५१ में गौवंश की १००० व्यक्तियों पर आनुपातिक दर ४२६ थी जो १९८२ में २७८, १९९१ में २१६ और १९९३ में घटकर मात्र १७६ रह गयी है। एनीमल वैलफेयर बोर्ड ने इस बारे में एक सर्वेक्षण कराया था, जिसके अनुसार अगर इसी तरह से गौवंश पर अत्याचार होता रहा और गौकशी होती रही तो सन् २०१० तक गौवंश इस देश से समाप्त हो जाएगा। अब तक गौवंश की ६ भारतीय नस्लें समाप्त हो चुकी हैं और तीन नस्लें समाप्त होने के कगार पर हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि गौकशी और गौवंश की तस्करी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाया जाए जिससे इस राष्ट्रीय की सम्पदा को बचाया जा सके।